(TO BE PUBLISHED IN PART –IV OF DELHI GAZETTE EXTRAORDINRARY)
Government of National Capital Territory of Delhi
(Administrative Reforms Department)
7th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-110002.

No. F.17/01/2012/AR/ 11554-11713/C Delhi the 18 / 12 / 2013

NOTIFICATION

No. F.17/01/2012-AR/- In partial modification of this Department's Notification No. F.17/6/2001/AR, dated 3rd October, 2001 as amended up-to-date, and in exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (c) of section 2 of the Delhi Right to Information Act 2001 (Delhi Act No. 7 of 2001), the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments in Annexure-I appended thereto for the purpose of the said Act, in respect of the Department of Law, Justice and Legislative Affairs, Govt. of NCT of Delhi with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

In Annexure-I to the said notification dated the 3rd October,2001 for the entries against Serial No.48, the following entries shall be substituted, namely:-

S. No	Name of the Department	Competent Authority
"48	**Department of Law Justice, & Legislative Affairs**	**Dy. Secretary (Law)"**

By Order and in the name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

(DR. M.M. KUTTY)
PRINCIPAL SECRETARY (AR)

No. F.17/01/2012/AR/ 11554-11713/C **Dated:** 18/12/13
Copy to:-

1. All Pr. Secretaries/Secretaries/Spl. Secretaries/Joint Secretaries/Additional Secretaries/Deputy Secretaries/Under Secretaries, Govt. of NCT of Delhi.
2. All Heads of the Departments, Government of NCT of Delhi.
3. All Heads of Autonomous Bodies/Local Bodies/Undertakings and other institutions owned or substantially finance by the Government of NCT of Delhi.
4. Pr. Secretary to Lt. Governor/Pr. Secretary to Chief Minister/Secretaries to Ministers, Government of NCT of Delhi.
5. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
6. Dy. Secretary (Coordination), Coordination Branch, General Administration Department, Government of NCT of Delhi for publication in the Delhi Gazette.
7. Librarian, Delhi Legislative Assembly, Delhi.
8. Guard File.

(Amitabh Joshi)
Deputy Director (AR)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग,

सातवां तल, सी.विंग, दिल्ली सचिसालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002

सं0 फा.17/01/2012–प्र0सु0/ 11554-11713/6   दिनांक 18/12/13

अधिसूचना

सं0 फा.17/01/2012–प्र0सु0–इस विभाग की दिनांक 03 अक्टूबर 2001 की अब तक यथा संशोधित अधिसूचना सं0 फा0 17/06/2001–प्र0सु0 का आंशिक आशोधन में और दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम, 2001 (2001 का दिल्ली अधिनियम संख्या 7) की धारा 2 के खंड (क) तथा खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल इसके द्वारा विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, दिल्ली सरकार के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए इसके साथ संलग्न परिशिष्ट–। में निम्नलिखित संशोधन शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से करते हैं ।

दिनांक 03 अक्टूबर 2001 की उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट–। में क्रम संख्या 48 के सामने उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टयां प्रतिस्थापित की जाती हैं, अर्थात :–अपनी नियंत्रणधीन विभागों / स्वायत्त निकायों/ स्थानीय निकायों/ उपक्रमों के विषय में निम्नलिखित जोड़ना /संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

क्र.सं.	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
"48	विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग	उप सचिव (विधि)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

(डॉ0 एम.एम. कुट्टी)
प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)

सं0 फा.17/01/2012–प्र0सु0/ 11554-11713/6 **दिनांक** 18/12/13

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विशेष सचिव / अतिरिक्त सचिव/ संयुक्त सचिव /उप सचिव / अवर सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली /नई दिल्ली ।
2. सभी विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली /नई दिल्ली ।
3. सभी विभागाध्यक्ष स्थानीय निकाय /स्वायत्त संस्था / उपक्रम तथा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्वामित्व या द्वारा पोषित अन्य संस्थान, ।
4. उपराज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मंत्रियों के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली /नई दिल्ली ।
5. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
6 उप–सचिव (समन्वय), समन्वय शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।
7. पुस्तकालय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली ।
8. गार्ड फाईल ।

(अमिताभ जोशी)
उप निदेशक (प्रशासनिक सुधार)